

४-५-२६

पत्रावली पेश हुई वकील प्रतिवादी उपस्थित वकील वादी उपस्थित नहीं, पत्रावली में वकील वादी को साक्ष्य वादी पेश करने हेतु दिनांक १५-२५ से आज दिनांक तक कोई अवसर दिये जा चुके हैं। किन्तु साक्ष्य वादी पेश नहीं कि गई, पत्रावली में साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। पत्रावली में वकील वादी व वादी को न्यायालय में बार-बार अवाजे लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से दवा अदम हाजरी अदम सबूत में ~~अदम~~ अदम प्रेखी में खारी ज किया जाता है। पत्रावली फायल शुमार होकर नम्बर से काम हो ~~का~~

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगु (चित्तौड़गढ़)